

कार्यालय : जिला कार्यक्रम अधिकारी वाराणसी।

पत्रांक सं० ८६०-६ / जि०का०अधि० / 2022-23 दिनांक : 10/06/22

समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी/प्रभारी

जनपद - वाराणसी।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा आंगनबाडी केन्द्रों के निरीक्षण दौरान यह तथ्य संज्ञान में आया है कि आंगनबाडी कार्यकर्त्री द्वारा खाद्यान्न वितरण पंजीका पर पार्षद/ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर नहीं कराये जाते हैं जबकि ग्राम प्रधान/पार्षद ग्राम/वार्ड निगरानी समिति के अध्यक्ष हैं।

अतः आप समस्त को निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर से आंगनबाडी कार्यकर्त्रियों को निर्देश करें कि वे खाद्यान्न वितरण के पूर्व ग्राम प्रधान/पार्षद को सूचित करें और वितरण के समय वितरण पंजीका पर ग्राम प्रधान/पार्षद के हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से कराये। भविष्य में उच्चाधिकारी/अधोहस्ताक्षरी के निरीक्षण के दौरान यदि आंगनबाडी कार्यकर्त्री के वितरण पंजीका पर उक्त कमियां पायी गयी तो सम्बन्धित आंगनबाडी कार्यकर्त्री की जिम्मेदारी तय करते हुए कठोर कार्यवाही की जायेगी।

(डी०के० सिंह)

जिला कार्यक्रम अधिकारी  
वाराणसी।

पृष्ठांकन सं० / तददिनांक :

प्रतिलिपि : मुख्य विकास अधिकारी महोदय वाराणसी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(डी०के० सिंह)

जिला कार्यक्रम अधिकारी  
वाराणसी।